"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018 — पौष 28, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द "तथा उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन.
3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा" के पश्चात्, शब्द "तथा एक उपाध्यक्ष होगा" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, जहां कही भी शब्द "अध्यक्ष" आया हो के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.
5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 15 का संशोधन.
6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ", उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 17 का संशोधन.
7. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ", उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2018)

THE CHHATTISGARH RAJYA ANUSUCHIT JANJATI AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (b), after the words "the chairperson", the words "and Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words "the chairperson", the words "and one shall be Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act, after the word "Chairperson", wherever it occurs, the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the Principal Act, after the word "Chairperson", the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 15.

6. In Section 15 of the Principal Act, after the words " The Chairperson", the punctuation and word ", Vice Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 17.

7. In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words "the Chairperson", the punctuation and word ",Vice Chairperson" shall be inserted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.